


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी:- ओ.पी. चंदेलिया आर.ए.एस  
क्रमांक :- दुरुरस्ती / 2024 / दिनांक :-

:-आदेश:-

प्रार्थी के खाता दुरुरस्ती प्रार्थना पत्र में मुताबिक तहसीलदार भादरा की रिपोर्ट एवं प्रार्थी भूपेन्द्र के शपथ पत्र के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में चक 4 एमएसआर के खाता सं० 81/55 तहसील भादरा जिला हनुमानगढ की जमाबन्दी में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-


क्र. सं.	ग्राम/चक/प टवार मण्डल	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1.	चक 4 एमएसआर	81/55	भूपेन्द्र पुत्र सतपाल	भूपेन्द्र पुत्र सत्यपाल

  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा जिला हनुमानगढ  
दिनांक :-

क्रमांक:- सम / 2024 /

प्रतिलिपी :- निम्न को सूचनार्थ एव पालनार्थ-

1. तहसीलदार (राजस्व) भादरा को भेजकर लेख है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश, विवाद एव बैक रहन न हो तो आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद/अंकन किया जाना सुनिश्चित करे।
2. भूपेन्द्र पुत्र सत्यपाल को सूचनार्थ।

  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा जिला हनुमानगढ

